तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामलाल बनाम सुरेश कुमार** **379 / 2016 (जीसीएमएस नं. 2016 / 00069)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
10.11.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उन्होने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य ग्राम के मौजीज लोगों द्वारा समझाईश करने पर राजीनामा हो गया है इसलिय अब अपीलान्ट उक्त अपीलं को आगे चलाना नही चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर	